## निविदा सूचना

नगर निगम,हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर शौचालयों एवं मूत्रालयों के निर्माण हेतु नगर निगम, हरिद्वार अपने (अ) श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनॉक 30.05.2020 से 15.06.2020 के अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनॉक 15.06.2020 को सॉय 3.00 बजे गठित समिति एवं निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित सूचना/शर्तें/जानकारी एवं शौचालयों/मूत्रालयों के प्रस्तावित स्थलों की सूची निगम की वेबसाईट www.haridwarnagarnigam.com अथवा निगम के निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सूची में उल्लिखित स्थानों पर यदि कोई अन्य पंजीकृत निजी संस्था बी0ओ0टी0 के आधार पर निःशुल्क कार्य करने की इच्छुक होगी तो उसे वरीयता दी जायेगी। इच्छुक निजी संस्थायें भी उपरोक्त कार्य दिवसों पर अपने आवेदन नगर निगम,हरिद्वार के कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,हरिद्वार में निहित होगा।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम,हरिद्वार।

## कार्यालयः नगर निगम,हरिद्वार।

पत्रॉकः 452/नि0वि0–शौचालय निर्माण/2020–21 दिनॉकः 29–05–2020.

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– मा0महापौर महोदया, नगर निगम,हरिद्वार।
2– जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।
3– नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम,हरिद्वार।
4– जिला सूचनाधिकारी, हरिद्वार।
5– लेखाधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
6– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
7– श्री विवेक, पी0आई0यू0 को नगर निगम,हरिद्वार की वैबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु।
8– सम्पादक, दैनिक राष्ट्रीय सहारा, समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम स्पेस में एक बार (अधिकतम धनराशि अंकन 10,000.00रू0 +जी0एस0टी0)प्रकाशित करते हुये समाचार–पत्र की 02 प्रति एवं बिल भुगतान हेतु निविदा तिथि से पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9– सम्पादक,दैनिक स्वतन्त्र चेतना, समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना हरिद्वार संस्करण में न्यूनतम स्पेस में एक बार प्रकाशित करते हुये समाचार–पत्र की 02 प्रति एवं बिल भुगतान हेतु निविदा तिथि से पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम,हरिद्वार।

नगर निगम,हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर निर्मित किये जाने वाले प्रस्तावित शौचालयों का विवरण।

| क्र0 सं0 | प्रस्तावित शौचालयों का स्थान | कुल सीटों की संख्या | प्रस्तावित सीटों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | पुरूष | महिला | मूत्रालय |
| 1 | रोडीबेलवाला में सी0सी0आर0 के सामने वर्तमान में स्थित सार्वजनिक शोचालयों के मध्य खाली भूमि | 20 | 14 | 6 | 5 |
| 2 | प्तद्वीप पार्किंग | 20 | 14 | 6 | 5 |
| 3 | सर्वानन्द घाट | 20 | 14 | 6 | 5 |
| 4 | ललतारौपुल के सामने | 20 | 14 | 6 | 5 |
| 5 | मायादेवी पार्किंग | 20 | 14 | 6 | 5 |
| 6 | रोडीबेलवाला आनन्द वन समाधि के पास उत्तर दिशा की ओर | 20 | 14 | 6 | 5 |
| 7 | ज्वालापुर सब्जीमण्डी के पास सडक पटरी | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 8 | रामलीला ग्राउण्ड पार्किंग | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 9 | निरंजनी अखाडा | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 10 | बैरागी कैम्प | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 11 | दक्ष मन्दिर परिसर के अन्दर | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 12 | दुर्गा चौक ज्वालापुर | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 13 | विष्णुलोक कालोनी | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 14 | ब्रहमपुरी | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 15 | कॉवड पटरी पार्क | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 16 | लालजीवाला ग्राउण्ड वी0आई0पी0 घाट के गेट के सामने | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 17 | निर्मला छावनी | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 18 | लोधामण्डी,हरिद्वार। | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 19 | श्रीयन्त्र मन्दिर बिजलीघर के पास कनखल | 10 | 07 | 3 | 3 |
| 20 | पीठ बाजार पुलिया के पास | 03 | 02 | 1 | 3 |
| 21 | बकरा मार्किट के पास ज्वालापुर | 03 | 02 | 1 | 3 |
| 22 | बी0एच0ई0एल0 सै0–2 बैरियर के सामने | 03 | 02 | 1 | 3 |
| 23 | रविदास बस्ती बाल्मिकी मन्दिर के पास कनखल | 03 | 02 | 1 | 3 |
| 24 | आर्यनगर चौक सीवेज पम्पिंग के पास | 03 | 02 | 1 | 3 |
| 25 | निगम कार्यशाला में | 02 | 01 | 1 | 2 |
| 26 | नगर निगम परिसर | 06 | 04 | 2 | 4 |
| 27 | कालिन्दी मार्केट के पीछे हरकीपैडी। | 03 | 02 | 01 | 2 |
| | योग– | **278** | **192** | **86** | **92** |

EE

# कार्यालय नगर निगम, हरिद्वार

## बी0ओ0टी0 आधार पर शौचालय के निर्माण एवं रख–रखाव हेतु आमंत्रित प्रस्ताव की नियम व शर्ते

1. निर्माण की सम्पूर्ण लागत, रख–रखाव एवं संचालन का संचालन का व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। द्वितीय पक्ष समय–समय पर भवन में रंग–रोगन, मरम्मत, आदि कार्य कराएगा।
2. द्वितीय पक्ष को 30 वर्ष की अवधि हेतु अनुबन्ध धारित किया जायेगा जिसकी निरंतर समीक्षा की जायेगी।
3. निर्धारित अवधि 30 वर्ष उपरान्त समस्त निर्मित सम्पत्ति का स्वामित्व नगर निगम का होगा।
4. द्वितीय पक्ष नगर निगम हरिद्वार द्वारा निर्धारित दरें ही यूजर चार्जेज के रूप में यात्रियों/उपयोग कर्ताओं से लेगा।
5. निर्मित भवन पर निर्माणकर्ता विज्ञापन कर सकेगा जिसका विज्ञापन शुल्क वह विज्ञापनदाताओं से विज्ञापन का अधिकार नगर निगम में निहित होगा। परन्तु विज्ञापन नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करके ही लगेगा। विज्ञापन दरों का निर्धारण प्रथम पक्ष द्वारा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रख्यापित विज्ञापन नियमावली के अनुसार किया जायेगा, जिसका अनुपालन करने के लिये द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
6. शौचालय निर्माण हेतु मानचित्र की अनापत्ति नियमानुसार नगर निगम हरिद्वार से प्राप्त करनी होगी व निर्माण लो0नि0वि0 की मानक विशिष्टियों के अनुरूप करना होगा। शौचालय में ए0टी0एम0 कक्ष का निर्माण द्वितीय पक्ष करेगा तथा उसको किराये पर नगर निगम द्वारा दिया जायेगा। अतः उससे प्राप्त किराये की आय प्रथम पक्ष की होगी।
7. शौचालय में दिव्यांग जनों की सुविधा हेतु दिव्यांग अनुकुल एक सीट का निर्माण किया जायेगा।
8. द्वितीय पक्ष शौचालय तथा इसके आस–पास की सफाई व्यवस्था के लिये उत्तरदांयी होगा।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्मित शौचालयों के सैप्टिक टैंक का निर्माण/एन0जी0टी0 एवं सालिडवैस्ट मैनेजमैन्ट नियम–2016 व शासन के नियमों के अनुसार किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष नियमानुसार पानी व बिजली का संयोजन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तथा उस मद के समस्त व्ययों का भुगतान स्वंय करेगा।
11. विधुत एवं जल के बिलो का निर्धारित भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।
12. द्वितीय पक्ष समय–समय पर प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगा।
13. द्वितीय पक्ष शौचालय का स्वंय तथा अपने स्टाफ के माध्यम से संचालन करेगा। किसी अन्य को ठेका अथवा किराये पर नही देगा। अगर इस प्रकार का कृत्य पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। एवं सम्पूर्ण निर्मित सम्पत्ति नगर निगम हरिद्वार द्वारा अधिगृहत कर ली जायेगी।
14. द्वितीय पक्ष शौचालय को आवश्यकतानुसार दिन–रात संचालित करेगा।
15. प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की किसी भी नियम विरूद्व प्रकृति के कारण अनुबंध निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त में निहित होगा। द्वितीय पक्ष इस हेतु किसी भी न्यायालय में कोई वाद इत्यादि योजित करने का अधिकारी नही होगा।

16. किसी शासकीय अथवा अतिमहत्वपूर्ण प्रयोजन हेतु यदि निर्मित सम्पत्ति को ध्वस्त किया जाता है तो उसका कोई उत्तरदायित्व निगम का नही होगा अतः द्वितीय पक्ष को कोई प्रतिकार प्रथम पक्ष द्वारा देय नही होगा।
17. यह कि द्वितीय पक्ष आवश्यकता अनुसार विभिन्न मेले के दिनों में, जैसा नगर निगम हरिद्वार निश्चित करेगा या विशेष परिस्थितयों में इन शौचालयों का संचालन आवश्यकतानुसार दिन–रात संचालित करेगा।
18. यह कि द्वितीय पक्ष मा0 सर्वोच्च न्यायालय मा0 एन0जी0टी0, मा0 उच्च न्यायालय, शासन/प्रशासन व नगर निगम हरिद्वार द्वारा दिए गए समस्त आदेश व निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
19. यह कि यदि उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त विवाद मध्यस्थ को संदर्भित किया जायेगा। उक्त मध्यस्थ को नामित करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम को होगा तथा मध्यस्थ कार्यावाही मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
20. खुले में शौच को रोके जाने हेतु ऐसे व्यक्तियों को जो यूजर चार्जेज/शुल्क देने में असमर्थ हो तो निशुल्क शौचालय की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
21. स्थल चयन के पश्चात उपरोक्त स्थल पर उन आवेदकों को वरीयता दी जाएगी जो पर्यटन क्षेत्र के साथ–साथ गैर पर्यटन क्षेत्र जैसे ज्वालापुर में भी बी0ओ0टी0 के आधार पर शौचालय निर्माण करेंगे।
22. प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार के पास होगा। प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर इस हेतु प्रस्तावकर्ता किसी भी न्यायालय में कोई वाद इत्यादि योजित करने का अधिकार नही होगा।
23. आवेदनकर्ता प्रस्ताव ई–मेल द्वारा 11, जून ,2020 को अपराहन 02:00 बजे तक नगर निगम की ई–मेल :–www.haridwarnagarnigam.com पर प्रेषित कर दें अथवा स्वंय नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध करा दे। विज्ञप्ति में उल्लेखित अवधि के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया जायेगा व न ही किसी प्रकार विचार किया जायेगा।
24. दिनांक 10.06.2020 को अपराहन 03.00 बजे प्रि–बिड मिटिंग की जानी है जिसमें स्वंय अथवा अपने प्रतिनिधि को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
25. शौचालय/सैप्टिक टैंक निर्माण के समय यदि एन0जी0टी0 द्वारा आपत्ति उठायी जाती है तो उसका निराकरण स्वंय संस्था द्वारा किया जायेगा तथा इससे होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
26. संस्था द्वारा प्रस्ताव देने से पूर्व प्रस्तावित शौचालयों की सूची एवं स्थल का भलीभॉति निरीक्षण करते हुये ही प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा। प्रस्ताव देने के पश्चात स्वीकृत होने की दशा में उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
27. संस्था द्वारा अपने प्रस्ताव में स्थलों की वरीयताक्रम, बनाये जाने वाले सीटों की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
28. प्रस्ताव के अनुरूप बनाये जाने वाले शौचालयों के सापेक्ष पूर्व में अन्य जगहों पर बनाये गये शौचालयों के प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
29. प्रस्ताव में बनाये जाने वाले शौचालयों की डिजाईन एवं शौचालयों में किस–किस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी, का ब्यौरा सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

30. रजिस्टर्ड निजी संस्थाओं द्वारा वार्षिक टर्नओवर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
31. आवेदक के निम्न अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्ताव की अंतिम तिथि तक ई–मेल के माध्यम से जमा करने होगें।
    1. व्यवसायिक फर्म का पंजिकरण, जी0एस0टी0 में होना अनिवार्य है।
    2. चरित्र प्रमाण पत्र।
    3. हैसियत प्रमाण पत्र।
    4. फर्म/संस्था/व्यक्ति का आधार/पैन कार्ड/वोटर पहचान पत्र।
    5. प्रस्ताव के साथ शर्तो की स्वीकृति स्वरूप 100/–रू0 का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
32. उपरोक्त सभी शर्तो में किसी भी प्रकार का बदलाव/अन्य किसी शर्त रखने का सम्पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार में निहित होगा, जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
33. कार्य की लागत का 2 प्रतिशत धनोहर राशि के रूप में वर्कवाइज जमा करना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता

नगर निगम हरिद्वार